न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/43/2021	2021/00173	08.10.2021	06.09.2022

1. मु0 गुलाबो जोजे लोहडा जाति मीना,
2. कैलाशी पुत्र रूग्घा जाति मीना,
3. लेखराम पुत्र रामेश्वर जाति मीना,
4. मंगल पुत्र रामेश्वर जाति मीना,
5. राजूलाल पुत्र रामेश्वर जाति मीना,
6. मु0 लाड बाई बेवा रामेश्वर जाति मीना,
7. हरनाथ पुत्र गोविन्द जाति मीना,
8. नंदकिशोर पुत्र रामनाथ जाति मीना,
9. महेश पुत्र रामनाथ जाति मीना,
10. जयप्रकाश पुत्र रामनाथ जाति मीना, निवासियान झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र रामफूल जाति मीना, निवासियान झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2. मु0 धनकी जोजे नरसी जाति मीना, निवासी सांथा, तहसील महवा, जिला दौसा राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 08.01.2008 नामान्तकरण संख्या 1587 वाके ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल — वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री मूलचंद चौधरी — रेस्पोडेन्ट संख्या 01
03. श्री मोहनसिंह नरूका — रेस्पोडेन्ट संख्या 02

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 08.01.2008 नामान्तकरण विरासत संख्या 1587 वाके ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 1399 वाके ग्राम झालाटाडा तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है। जिसका खातेदारान ने बाहमी बंटवारा कर लिया था। जिसके मुताबिक रिकॉर्ड में बंटवारा हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है, लेकिन उसके साथ बाहमी बंटवारा के विपरीत नक्शा बनाकर पेश कर दिया गया। जिसके अनुसार तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

लक्ष्मणगढ ने दिनांक 08.01.2008 को राजस्व रिकॉर्ड में आलोच्य निर्णय पारित कर दिया और उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1587 दर्ज हो गया जिस निर्णय व नामान्तकरण से असंतुष्ट होने के कारण अपील पेश की है।

अपीलान्ट गुलाबो, कैलाशी, हरनाथ तथा वाकी अपीलान्ट के पति व पिता रामेश्वर एवं रामनाथ ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति हैं जिनको बताया गया कि बाहमी बंटवारा के अनुसार नक्शा बना दिया गया जिस पर विश्वास कर अगूंठे निशानी व हस्ताक्षर कर दिए और इसी विश्वास में रहे कि बाहमी बंटवारा के अनुसार रिकॉर्ड में बंटवारा हो गया और गलत बंटवारा के निर्णय व नामान्तकरण की पूर्व में जानकारी नही हो सकी इस कारण से समय अवधि में अपील पेश नहीं की जा सकी। अब अपीलान्ट के बाला–बाला रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रास्ते हेतु धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां से एक तरफा में दिनांक 18.03.2016 को आदेश जारी करा लिया गया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील प्रस्तुत की गई। इसके बाद अपीलान्ट के वकील ने बाहमी बंटवारा के अनुसार बनाये गये नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर दिनांक 06.10.2016 को गलत नक्शा व आलोच्य निर्णय व नामान्तकरण की जानकारी हुई। जानकारी होने पर अपील बिना देरी अन्दर अवधि पेश है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव के कारण हुई है जो नेक नियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मयाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र दफा 05 मयाद कानून अलग से पेश है। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई थी। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.03.2016 व 16.03.2016 को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भी मुताबिक नक्शा व मौका अनुसार कब्जे में भिन्नता है तथा रिपोर्ट में जो नक्शा मौका अनुसार बनाकर पेश किया गया वह सही है तथा इसी के अनुसार बंटवारा हुआ है। जिससे यह साबित होता है कि गलत नक्शा बनाकर पारित कराया गया है। आराजी खसरा न0 1399 का बंटवारा पक्षकारान में इस प्रकार हुआ की तरफ उत्तर नासिक पश्चिम धुनकी वगै0 का नासिक तरफ पूर्व हरनाथ वगै0 तथ तरफ पश्चिम हरिसिंह का व नासिक पूर्व कैलाशी वगै0 का है। इसी तरह आज तक काबिज काश्त कर रहे हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 08.01.2008 तथा नामान्तकरण संख्या 1587 दिनांक 08.01.2008 तहसीलदार लक्ष्मणगढ को अपास्त फरमाया जाकर अपील के पैरा संख्या 08 व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2011 व 16.03.2016 के अनुसार बनाये गये नक्शे के अनुसार विभाजन प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं। मुताबिक बंटवारा के आराजी खसरा न0 1399 पर 1/4 – 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त कर रहे हैं। अपीलान्ट द्वारा मुझे अपनी आराजी पर जाने हेतु रास्ता नहीं दिए जाने पर प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में पेश किया गया। जो न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2016 को स्वीकार कर आराजी खसरा न0 1399 की पश्चिम ड़ोल के सहारे 15 फुट का रास्ता कायम किया गया। जिसकी अपील संख्या 50/2016 अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2018 को अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 18.03.2016 को निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्ष की विधिवत तामील कराई जाकर साक्ष्य–सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 1587 दिनांक 08.01.2008 की पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ से मूल रिकॉर्ड तलब करने पर नामान्तकरण संख्या 1387 दिनांक 08.01.2008 का प्राप्त हुआ है। जिसके अवलोकन पर यह सिद्ध होता है अपील में अपीलान्ट ने सहवन से नामान्तरकण संख्या 1587 अंकन किया जाना प्रतीत होता है। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान नामान्तकरण संख्या 1587 के स्थान पर 1387 पढा जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट खातेदारान द्वारा जल चेतना यात्रा द्वितीय चरण राजस्व अभियान 2008 में विभाजन प्रार्थना पत्र तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष आराजी खसरा न0 1399 वाके ग्राम झालाटाला के मुताबिक जमाबंदी संवत 2061–2064 के अनुसार खातेदारान के हस्ताक्षर करवाकर पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का/भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 08.01.2008 के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। इसी आदेश के मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 1387 भरकर दिनांक 08.01.2008 तहसीलदार लक्ष्मणगढ से स्वीकार करवाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2016 व 16.03.2016 के अनुसार मुताबिक नजरी नक्शा व मौके पर कब्जे काश्त में भिन्नता होना बताया गया एवं अपील के दौरान तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार के पत्रांक 4323 दिनांक 25.07.2022 के द्वार अवगत कराया की आराजी खसरा न0 1399 वाके ग्राम झालाटाला का बंटवारा हुआ था। जिसके मुताबिक नामान्तकरण संख्या 1387 स्वीकृत हुआ था। जिसमें मौके व हाल नक्शा में तरमीम लोकेशन परिवर्तित है। इसी प्रकार राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 14.06.2018 में भी मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि नजरी नक्शे के अनुसार मुताबिक विभाजन डिग्री के आधार पर आराजी खसरा न0 1399 के चार खसरा न0 विभाजित कर 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4 नक्शे में तरमीम कर दिये गये। परन्तु मौके पर सहकाश्तकार मुताबिक विभाजन के काबिज नहीं होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 08.01.2008 एवं नामान्तकरण संख्या 1387 दिनांक 08.01.2008 निरस्त किए जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है। उभयपक्षकारान वकील द्वारा भी पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2008 एवं नामान्तकरण संख्या 1387 दिनांक 08.01.2008 वाके ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं खातेदारान के राजस्व रिकॉर्ड में स्थिति एवं मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार जांच कर एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/09/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर